उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः–587 /3-3(5)/2024-25 दिनांक– 28 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में शासकीय पत्रांक–1767/X-2-2024-12(07)2021(E-72660) दिनांक 26.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) से कैम्पा योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत स्वीकृत आय–व्ययक/ए0पी0ओ0 के सापेक्ष, गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित की गई धनराशि में से, ऐसे कार्यो की धनराशि, जिनके बिल तत्समय कोषागार से आहरित नहीं हो सके, के भुगतान हेतु कैम्पा की विभिन्न योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। यह धनराशि आपकी मांग अनुसार राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 07 जून, 2024 को संपन्न 30वीं बैठक के जारी कार्यवृत्त में अनुमोदित/स्वीकृति की गई है।

उक्त धनराशि योजनावार वित्त नियंत्रक, वन विभाग के निम्न पत्रों से पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.पर fund released section *में भी अपलोड है*/ योजनावार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं0	योजना का नाम	वित्त नियंत्रक का पत्रांक	आवंटित धनराशि (धनराशि करोड़ में)
1	क्षतिपूरक वनीकरण (CA) 2406–04–103–03–01	नि0 471/3–5 (CA) दिनांक 16.10.24	3.40
2	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान (CAT Plan) 2406-04-103-03-02	नि0 478/3–5 (CAT Plan) दिनांक 18.10.24	4.66
3	समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना (IWLMP) 2406-04-103-03-03	नि0 458/3–5 (IWLMP) दिनांक 09.10.24	0.0547
4	अर्जित ब्याज (Interest) 2406-04-103-03-05	नि0 477/3–5 (Interest) दिनांक 16.10.24	0.1978
5	अन्य कार्य (Others) 2406-04-103-03-06	नि0 459/3–5 (Other) दिनांक 09.10.24	1.1697
	कुल योगः–		**9.4822**

अतः उक्तानुसार गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित की गई धनराशि में से, ऐसे कार्यो की धनराशि, जिनके बिल तत्समय कोषागार से आहरित नहीं हो सके, के भुगतान हेतु योजनावार आवंटित की गई धनराशि से गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों** को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंः–

1. वित्त नियंत्रक के उक्त पत्रों में उल्लेखित शर्तों व शासकीय पत्रांक–1767/X-2-2024-12(07)2021(E-72660) दिनांक 26.09.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. **अन्य नियम व शर्तेंः–**

I. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वन*... *निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली – 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे ;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो , के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

V. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VI. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

VII. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

VIII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

IX. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

X. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

XI. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

XII. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

XIII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

28/10

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

ई-मेल द्वारा प्राप्त

संख्या नि0–471 / 3–5 (कैम्पा –क्षतिपूरक वनीकरण)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2024.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2406–04–103–03–01 क्षतिपूरक वनीकरण" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या 750/X-2-2024-12(07)2021(E-72660)दिनांक 27 जून, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24060270010 दिनांक 28.06.2024 आवंटित बजट ₹18,63,00,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2–शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021(E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270007 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹3,40,08,000–(छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 – क्षतिपूरक वनीकरण" हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹22,03,08,000/– (₹बाईस करोड़ तीन लाख आठ हजार मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹18,63,00,000/– (₹अठारह करोड़ तिरसठ लाख मात्र) के अतिरिक्त शासन से पुर्नवैध की गयी धनराशि को विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹3,40,08,000/–(₹तीन करोड़ चालीस लाख आठ हजार मात्र) को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता हैः–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 27 जून, 2024 तथा दिनांक 26 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय, गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक NA-5/1/2020-NA दिनांक 25.06.2024 द्वारा पुर्नवैध की गयी धनराशि को वर्णित कार्यमदों में व पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

[redacted]

7. बजट आवंटन प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून के पत्रांक 522 / 3–2 बजट (CA) / 2024–25 दिनांक 07.10.2024 से प्राप्त फांट के अनुसार किया गया है।
8. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 16-10-2024 21:10:54

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 471 / 3–5 (कैम्पा– कैम्पा –क्षतिपूरक वनीकरण) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं गढ़वाल तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों / निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

ई-मेल द्वारा प्राप्त

संख्या नि0–478/3–5 (कैम्पा–जल ग्रहण शोध योजना–कैम्पा कैट प्लान)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2024.

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02 जल ग्रहण शोध योजना–कैम्पा कैट प्लान" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।**

संदर्भ :– **1–शासनादेश संख्या 749/X-2-2024-12(07)2021 (E-74334) दिनांक 01 जुलाई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24070270002 दिनांक 01.07.2024 आवंटित बजट ₹6,42,00,000– (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।**
2–शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-74334) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270008 दिनांक 30.09.2024 आवंटित बजट ₹4,66,37,000–(छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक **"2406–04–103–03–02– जल ग्रहण शोध योजना–कैम्पा कैट प्लान"** हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि **₹11,08,37,000/–(₹ग्यारह करोड़ आठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि **₹6,42,00,000/– (₹ छः करोड़ बयालीस लाख मात्र)** के अतिरिक्त शासन से पुर्नवैध की गयी धनराशि को विभागाध्यक्ष द्वारा **वर्तमान में** जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि **₹4,66,37,000/–(₹चार करोड़ छियासठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** को **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को **ऑन लाईन** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता हैः–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों दिनांक 01 जुलाई, 2024 तथा 26 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. **वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय, गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।**
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक NA-5/1/2020-NA दिनांक 25.06.2024 द्वारा पुर्नवैद्य की गयी धनराशि को वर्णित कार्यमदों में व पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2/–

7. बजट आवंटन प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून के पत्रांक 520 / 3–2 बजट (CAT Plan) / 2024–25 दिनांक 07.10.2024 से प्राप्त फंाट के अनुसार किया गया है।
8. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 18-10-2024 14:46:13
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 478 / 3–5 (कैम्पा– कैम्पा –क्षतिपूरक वनीकरण) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं गढ़वाल तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों / निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

ई-मेल प्राप्त

प्रेषक

संख्या नि0–458 / 3–5 (समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना)

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी वन प्रभाग,उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः09 अक्टूबर, 2024.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक''2406–04–103–03–03 समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या 1767 / X-2-2024-12(07)2021(72660) दिनांक 26 सितम्बर,2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24090270009 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹5,47,00,000– (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा **अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक ''2406–04–103–03–03– समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजनान्तर्गत** प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई धनराशि **₹5,47,000 / –(₹पाँच लाख सैंतालीस हजार मात्र)** को विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को **ऑन लाईन** निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त / जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर,2024 में उल्लिखित शर्तो / प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाए।
3. आवंटित धनराशि व्यय / आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
4. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक **NA-5/1/2020-NA दिनांक 25.06.2024** द्वारा पुर्नवैद्य की गयी धनराशि को वर्णित कार्यमदों में व पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष **प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड कैम्पा, के पत्रांक 512 / 3–2 बजट IWLMP / 2024–25 दिनांक** 01.01.2024 से निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 पर मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 458/3–5 (समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक,कुमॉऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस/मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

ई-मेल द्वारा प्राप्त

प्रेषक संख्या नि0–477 / 3–5 (कैम्पा– कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज)

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2024.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2406–04–103–03–05 कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या 748 / X-2-2024-12(07)2021(E74343) दिनांक 01 जुलाई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24070270001 दिनांक 01.07.2024 आवंटित बजट ₹2,50,00,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2–शासनादेश संख्या 1767 / X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270013 दिनांक 30.09.2024 आवंटित बजट ₹19,78,000–(छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–05 – कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज " हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹2,69,78,000/– (₹दो करोड़ उनहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹2,50,00,000/– (₹दो करोड़ पचास लाख मात्र) के अतिरिक्त शासन से पुर्नवैध की गयी धनराशि को विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹19,78,000/–(₹उन्नीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों दिनांक 01 जुलाई 2024 तथा दिनांक 26 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. **वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय, गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।**
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक NA-5/1/2020-NA दिनांक 25.06.2024 द्वारा पुर्नवैद्य की गयी धनराशि को वर्णित कार्यमदों में व पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2/–

7. बजट आवंटन प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून के पत्रांक 519 / 3–2 बजट (INT) / 2024–25 दिनांक 07.10.2024 से प्राप्त फांट के अनुसार किया गया है।
8. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 16-10-2024 21:18:36
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 477 / 3–5 (कैम्पा– कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों / निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

ई-मेल द्वारा प्राप्त

प्रेषक

संख्या नि0–459/3–5 (कैम्पा–अन्य कार्य)

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2024.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2406–04–103–03–06 – अन्य कार्य " हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या–1185/X-2-2024-12(07)2021(E74356) दिनांक 03 जुलाई,2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24070270003 दिनांक 03.07.2024 आवंटित बजट ₹4,51,00,000/– (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2–शासनादेश संख्या–1767/X-2-2024-12(07)2021(E72660) दिनांक 26 सितम्बर,2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270012 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹1,16,97,00/– (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा अनुदान संख्या–27, **लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06– अन्य कार्य "** हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई धनराशि **₹5,67,97,000/– (₹पाँच करोड़ सढ़सठ लाख सतानब्बे हजार मात्र)** के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि **₹4,43,90,723/–(₹चार करोड़ तैंतालीस लाख नब्बे हजार सात सौ तेईस मात्र)** के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा **वर्तमान में** जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि **₹1,16,97,000/–(₹एक करोड़ सोलह लाख सतानब्बे हजार मात्र)** को **IFMS पोर्टल** के माध्यम से **ऑन लाईन** बजट विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता हैः–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2024 एवं दिनांक 26.09.2024 में उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
3. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
4. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक NA-5/1/2020-NA **दिनांक 25.06.2024** द्वारा पुर्नवैद्य की गयी धनराशि को वर्णित कार्यमदों में व पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष सक्षम स्तर/**प्रमुख वन संरक्षक**/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, **उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून** के पत्रांक 511/3–2 बजट (Other)/2024–25 दिनांक 01.10.2024 द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 पर मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 459/3–5 (कैम्पा–अन्य कार्य) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक,कुमॉऊ एवं गढ़वाल तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस/ मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

ई-मेल द्वारा प्राप्त

संख्या– 1767/X–2–2024–12(07)2021 (E-72660)

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में वन विभाग की अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत विभिन्न वन प्रभागों को आवंटित धनराशि, जोकि तत्समय कोषागार से आहरित नहीं हो पायी, को वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–NA-5/1/2020-NA दिनांक 25.06.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की पुर्नवैद्य की गयी धनराशि के सापेक्ष अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–नि0 83/3–5 (कैम्पा) दिनांक 18.07.2024 एवं पत्र संख्या–112810/2024 /3– 5 (कैम्पा) दिनांक 09.09.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैम्पा योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक/ए0पी0ओ0 के सापेक्ष, वित्तीय वर्ष 2023–24 में आवंटित की गयी धनराशि में से, ऐसे कार्यो की धनराशि, जिनके बिल तत्समय कोषागार से आहरित नहीं हो सके, से सम्बन्धित निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 24.699 करोड़ (रू0 चौबीस करोड़ छियासठ लाख नब्बे हजार मात्र) अवमुक्त कर व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	
अनुदान संख्या–27	
2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी 04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास	

e No. FOR2-12/1/22/2024-X-2-Forest Department (Computer No. 72660)
Scanned with OKEN Scanner

103–राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	
03–01– क्षतिपूरक वनीकरण योजना 42–अन्य विभागीय व्यय	340.08
03–02– जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान 42–अन्य विभागीय व्यय	466.37
03–03– समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना 42–अन्य विभागीय व्यय	5.47
03–04– वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य 42–अन्य विभागीय व्यय	1518.23
03–05– कैम्पा से अर्जित ब्याज 56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	19.78
03–06– अन्य कार्य 42–अन्य विभागीय व्यय	116.97
योगः–	2466.90

(रू0 चौबिस करोड़ छियासठ लाख नब्बे हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित डिवीजन को 02 सप्ताह के अन्दर आवंटित कर दी जाय। 02 सप्ताह के अन्दर धनराशि आवंटन न करने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

2. . धनराशि के व्यय हेतु The Compensatory Afforestation Fund Rule's 2018, कैम्पा के नियमों/अधिनियम तथा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 19.04.2024 एवं 24.05.2024 में दिये गये प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित धनराशि का व्यय, गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

3. कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

e No. FOR2-12/1/22/2024-X-2-Forest Department (Computer No. 72660)

Scanned with OKEN Scanner

5. धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित की जाय।

6. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों / शर्तो के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यो हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रकिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

7. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –201358 / 9(150)2019 / XXVII(1)/2024दिनांक 22.03.2024 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी / शासन की पूर्व सहमति / स्वीकृति ली जाय।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, महालेखाकार एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. कार्य कराये जाने से पूर्व एवं कार्य कराये जाने के बाद कार्य की फोटोग्राफी आवश्यक रूप से करायी जाय।

12. प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि वन संरक्षण अधिनियम 1980 ,Wiild life Protection Act 1972,भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य किसी अधिनियम के तहत Clearance लिया जाना हो तो तद्नुसार सभी आवश्यक Clearanceलेकर ही धनराशि का व्यय किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

13. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0 202/1995 में दाखिल आई0ए0 न0 181182 एवं 181186/2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 एवं दिनांक 28.11.2023 का उल्लंघन न हो। यदि प्रश्नगत कार्य के कियान्वयन से मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त पारित आदेशों का उल्लंघन हो रहा हो तो संबंधित कार्य कदापि न किये जायं।

2— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत आय—व्यय के सापेक्ष अनुदान संख्या—27 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—201358/9(150)2019 /XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आलॉटमेंट आई.डी.

भवदीय,

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 26-09-2024 14:40:05

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

संख्या—1767/X—2—2024—12(07)2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Forest(S016)
HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

आवंटन पत्र संख्या -72660
अनुदान संख्या -027

आवंटन आई डी-S24090270007
आवंटन पत्र दिनांक-26-SEP-2024

लेखा शीर्षक
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा
03-राज्य प्राधिकरण
01-क्षतिपूरक वनीकरण योजना
Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	186300000	34008000	0	220308000
योग	186300000	34008000	0	220308000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,40,08,000 (Rupees Three Crores Forty Lacs Eight Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Forest(S016)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

आवंटन पत्र संख्या -72660
अनुदान संख्या -027

आवंटन आई डी-S24090270008
आवंटन पत्र दिनांक-26-SEP-2024

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
	103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03-राज्य प्राधिकरण
	02-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान	Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	64200000	46637000	0	110837000
योग	64200000	46637000	0	110837000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.4,66,37,000 (Rupees Four Crores Sixty Six Lacs Thirty Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Forest(S016)
HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

आवंटन पत्र संख्या -72660
अनुदान संख्या -027

आवंटन आई डी-S24090270009
आवंटन पत्र दिनांक-26-SEP-2024

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
	103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03-राज्य प्राधिकरण
	03-समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना	Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	0	547000	0	547000
योग	0	547000	0	547000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,47,000 (Rupees Five Lacs Forty Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Forest(S016)
HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

आवंटन पत्र संख्या -72660 आवंटन आई डी-S24090270010
अनुदान संख्या -027 आवंटन पत्र दिनांक-26-SEP-2024

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
	103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03-राज्य प्राधिकरण
	04-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	518158000	151823000	0	669981000
योग	518158000	151823000	0	669981000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.15,18,23,000 (Rupees Fifteen Crores Eighteen Lacs Twenty Three Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Forest(S016)
HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

आवंटन पत्र संख्या -72660 आवंटन आई डी-S24090270012
अनुदान संख्या -027 आवंटन पत्र दिनांक-26-SEP-2024

लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी 04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा 03-राज्य प्राधिकरण
06-अन्य कार्य Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	6

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	45100000	11697000	0	56797000
योग	45100000	11697000	0	56797000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,16,97,000 (Rupees One Crore Sixteen Lacs Ninety Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Forest(S016)
HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

आवंटन पत्र संख्या -E72660
अनुदान संख्या -027

आवंटन आई डी-S24090270013
आवंटन पत्र दिनांक-30-SEP-2024

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा
03-राज्य प्राधिकरण
05-कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज

Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	1978000	0	1978000
योग	0	1978000	0	1978000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.19,78,000 (Rupees Nineteen Lacs Seventy Eight Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांकः– 587 /3-3(5)/2024-25/ दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ जोन, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा